ऑन लाईन नं.RCMS2022/294

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 36/2022

श्री विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री संदीप कुमार सिंगला पुत्र श्री कृष्णचंद सिंगला —नमूना विकेता एवं मालिक— **मै0** जय श्री ट्रेडिंग कंपनी, बी–3, नारंग पटटी सूरतगढ़ बाई पास रोड, श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(2)/52

निर्णय **दिनांक : 23.02.2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं निदेशालय के आदेश क्रमांकःएच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 द्वारा केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर में पदस्थापित है। परिवादी का स्थानीय क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य का है जिसका गजट नोटिफिकेशन दिनांक 11.04.2012 के गजट में भग 2 (क) पर प्रकाशित हुआ है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.06.2022 को समय 11.00 एम पर **मै0** जय श्री ट्रेडिंग कम्पनी, बी–3 नारंग पटटी, सूरतगढ़ बाईपास के पास, श्रीगंगानगर पर पहुचें। वहा श्री संदीप कुमार सिंगला उपस्थित मिला जिसने खुद को खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षणा करने पर पाया कि आम जनता के विक्रय हेतु उपलब्ध **Mustard Oil (Neel Dhara)** के 20 कार्टुन प्रत्येक कार्टून में 500 एमएल की 20 बोतल रखे है के अमानक का शक होने पर 500 एमएल के 4 पैक्ड बोतल **Mustard Oil (Neel Dhara)** खाद्यकारोबारकर्ता को सूचित करते हुए वास्ते नमूने जांच खरीदा, जिसकी कीमत श्री संदीप कुमार सिंगला को 320/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 05 ए प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री संदीप कुमार सिंगला, एवं गवाहन ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता श्री संदीप सिंगला को देकर असल रसीद प्राप्त की ।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Mustard Oil (Neel Dhara) 500** एमएल के चारों बोतलों पर लेबल चिपकायें एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

K-1533 एवं लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवायें तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवा कर प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटा और प्रत्येक भाग पर डी.ओ. जयपुर प्रथम की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड अनुक्रमांक **K-1533** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता संदीप कुमार सिंगला ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/756/एक्ट/2022/756 दिनांक 29.06.2022 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–1533 Mustard Oil (Neel Dhara) अमानक स्तर** Misbranded Food होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री संदीप कुमार सिंगला पुत्र श्री कृष्णचंद सिंगला, मै. जय श्री ट्रेडिंग कंपनी, बी–3, सूरतगढ़ बाई पास रोड, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Mustard Oil (Neel Dhara)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.12.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदपी चन्द्र गार्गी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य विश्लेषक बीकानेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य पदार्थ मस्टर्ड ऑयल नीलधारा को मिसब्रांडेड होना बताया है जो पूर्ण असत्य एवं निराधार है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 04.07.2022 के आधार पर नमूने को इस आधार पर मिस्ब्रांडेड बताया है कि फोर्टिफिकेशन लोगो में फोर्टिफिकेन्ट नामक तत्व का विवरण नहीं होना अंकित किया है जबकि वास्व में उत्तरदाता अनावेदक निवेदन करता है कि फोर्टिफिकेशन विटामिन ए और विटामिन डी–2 होता है जिसका उल्लेख प्रार्थी के प्रत्येक लोगो में अंकित है। इस प्रकार खाद्य विश्लेषक द्वारा लोगो को अनेदखा करके अपनी रिपोर्ट तैयार की है। माननीय न्याया के अवलोकनार्थ लोगो की प्रति जिसमें फोर्टिफिकेन्ट अंकित है, वह प्रस्तुत है। परिवाद के चरण संख्या 10 में अंकित धाराओं के अंतर्गत प्राथी द्वारा किसी प्रकार का अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी पर फोर्टिफिकेशन लोगों में सर्टिफिकेन्ट का नाम नहीं देने का आरोप लगाया गया है जबकि वास्तव में प्रार्थी द्वार प्रत्येक लोगो में फोर्टिफिकेन्ट का नाम अंकित किया हुआ है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के

अति. जिला कलक्टर (मुख्यालय)
श्रीगंगानगर

विरुद्ध उक्त तथ्यों के आधार पर धारा 52 एफएसएस एक्ट की कार्यवाही को ड्रॉप किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Mustard Oil (Neel Dhara)**का सैम्पल **के–1533** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस / 756 / एक्ट / 2022 / 756 दिनांक 29.06.2022 द्वारा Misbranded Food होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2) / 52 उल्लंघन किया है तथा जुर्माने योग्य अपराध है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में वर्णित है।

अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी पर फोर्टिफिकेशन लोगों में सर्टिफिकेन्ट का नाम नहीं देने का आरोप लगाया गया है जबकि वास्तव में प्रार्थी द्वार प्रत्येक लोगो में फोर्टिफिकेन्ट का नाम अंकित किया हुआ है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के विरुद्ध उक्त तथ्यों के आधार पर धारा 52 एफएसएस एक्ट की कार्यवाही को ड्रॉप किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **Mustard Oil (Neel Dhara)**" bearing Code No. and Sr. No. K-1533 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is **Misbranded** Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety and Standard Act 2006 की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त श्री संदीप कुमार सिंगला पुत्र श्री कृष्ण चंद सिंगला को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (पप) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री** संदीप कुमार सिंगला पुत्र श्री कृष्ण चंद सिंगला को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 12,000–00 (**अखरे रूपये बारह हजार मात्र**) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलेक्टर (प्रशा.)
श्रीगंगानगर